रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11022026-270039
SG-DL-E-11022026-270039

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]	दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 447
No. 33]	DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947	[N. C. T. D. No. 447

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

f"kक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

फा0सं0 डी0ई0 4(8)/23/स्था0–IV/06/खंड–II/23.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एचआईएम(I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–I,II एवं III के पद हेतु भर्ती नियम के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड– I, II एवं III के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–

(1) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड– I, II एवं III के पद हेतु भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन स्तर :–

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं :–

उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :–

वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. ि"ाथिल करने की भाक्ति :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. बचाव :– इन नियमों में भारत सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, बेंचमार्क दिव्यांगजनों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>अनुसूची</u>–I

प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–I के पद हेतु भर्ती नियम का निर्धारण

1.	**पदनाम**	:	प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–I
2.	**पदों की संख्या**	:	*915 (2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	समूह 'ग', अलिपिकीय, अराजपत्रित
4.	**पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**	:	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन स्तर–5 (रुपये 29,200–92,300/–)
5.	**क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद**	:	गैर चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं

*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। कोष्ठक में उस वर्ष का उल्लेख करें जिसमें यह संख्या मौजूद है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 08.11.2002 के आदेश सं0फा0 5–8/98–यूटी–1 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के 2289 पदों का 40 प्रतिशत पुनर्गठन के कारण प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–I को दिए जाने हैं।

8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है**	:	ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन स्तर–4 (रुपये 25,500–81,100/–) में प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–II; बशर्ते कि वे वरिष्ठता–सह–योग्यता के अधीन हों। **नोट** – जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो या दो वर्ष, इनमें जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समितिः** 1. निदेशक (शिक्षा) – **अध्यक्ष** 2. विशेष निदेशक/अपर निदेशक (समाज कल्याण) – **सदस्य** 3. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0) – **सदस्य** **नोट** :– यदि विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

अनुसूची–II

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रालय में प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–II के पद हेतु भर्ती नियम

1.	**पदनाम**	:	प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–II
2.	**पदों की संख्या**	:	*687 (2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।

3.	**वर्गीकरण**	:	समूह 'ग', अलिपिकीय, अराजपत्रित
4.	**पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**	:	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन स्तर–4 (रुपये 25,500–81,100/–)
5.	**क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद**	:	गैर चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं

*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। कोष्ठक में उस वर्ष का उल्लेख करें जिसमें यह संख्या मौजूद है।
687 (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 08.11.2002 के आदेश सं0फा0 5–8/98–यूटी–1 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के 2289 पदों का 30 प्रतिशत पुनर्गठन के कारण प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–II को दिए जाने हैं।)

8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है**	:	ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन स्तर–2 (रुपये 19,900–63,200/–) में प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–III तथा 02 सप्ताह का प्रशिक्षण (उच्चतर पद के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व से संबंधित विषय/कार्य क्षेत्र में) सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले। **नोट** – जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो या दो वर्ष, इनमें जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समितिः** 1. निदेशक (शिक्षा) – **अध्यक्ष** 2. विशेष निदेशक/अपर निदेशक (समाज कल्याण) – **सदस्य** 3. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0) – **सदस्य** **नोट** :– यदि विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

अनुसूची–III

प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–III के पद हेतु भर्ती नियम का निर्धारण

1.	**पदनाम**	:	प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–III
2.	**पदों की संख्या**	:	*687 (2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	समूह 'ग', अलिपिकीय, अराजपत्रित
4.	**पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**	:	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन स्तर–2 (रुपये 19,900–63,200/–)
5.	**क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद**	:	गैर चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा आदेश के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **नोट** :– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	अनिवार्यः– 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से नियमित विद्यार्थी के रूप में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंकों सहित विज्ञान (भौतिकी तथा रसायन विज्ञान अथवा भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा सहित) के साथ वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण अथवा नियमित विद्यार्थी के रूप में समकक्ष। 2) उम्मीदवार को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहिए। **नोट 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। कोष्ठक में उस वर्ष का उल्लेख करें जिसमें यह संख्या मौजूद है। 687 (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 08.11.2002 के आदेश सं0फा0 5 8/98–यूटी–1 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के 2289 पदों का 30 प्रतिशत पुनर्गठन के कारण प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड–III को दिए जाने हैं।)

8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएं : नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो वर्ष **नोट** : सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए परिवीक्षा की पूर्णता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	क) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व समूह–घ कर्मचारियों में से 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है**	:	ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन स्तर–1 (रुपये 18,000–56,900/–) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व समूह–घ कर्मचारियों में से तथा उनके पास विज्ञान (प्रायोगिक परीक्षा के साथ भौतिकी तथा रसायन विज्ञान अथवा प्रायोगिक परीक्षा के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान) के साथ मैट्रिकुलेशन में योग्यता(योग्यताएं) होनी चाहिए। **नोट** – जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो या दो वर्ष, इनमें जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समितिः** 1. निदेशक (शिक्षा) – **अध्यक्ष** 2. विशेष निदेशक/अपर निदेशक (समाज कल्याण) – **सदस्य** 3. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0) – **सदस्य** **नोट** :– यदि विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पाटिल प्रांजल लाहेनसिंह (भा. प्र. से.), अपर निदेशक शिक्षा (प्रशा0)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd January, 2026

F. NO. DE.4(8)/23/E-IV/06/Vol.II/23.— In exercise of the powers conferred by the proviso to **Article 309 of the Constitution of India**, read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. F.27/59-Him(I) dated 13th July, 1959 and in supersession of Recruitment Rules for the post of Laboratory Technician Grade-I, II & III issued in this regard, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the **Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi** after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the

post of **Laboratory Technician Grade-I, II & III** in the **Directorate of Education, Government of NCT of Delhi**, namely:—

1. Short Title and Commencement

(1) These rules may be called the **Recruitment Rules for the Post of Laboratory Technician Grade-I, II & III in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, 2025**.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the **Delhi Gazette**.

2. Number of Posts, Classification and Pay Level

The number of the said posts, their classification, and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in **Columns (2) to (4)** of the Schedule annexed hereto.

3. Method of Recruitment, Age Limit, and Qualifications

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in **Columns (5) to (13)** of the said Schedule.

4. Disqualification

No person—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax

Where the **Government of the National Capital Territory of Delhi** is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the **Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, Persons with Benchmark Disabilities**, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India / Government of NCT of Delhi from time to time in this regard.

SCHEDULE I

FRAMING OF RECRUITMENT RULES TO THE POST OF **LABORATORY TECHNICIAN GRADE I**

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale**	**Whether Selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct Recruits**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Laboratory Technician Grade-I	***915** (2025) *Subject to variation dependent on workload	Group-'C' Non Ministerial, Non Gazetted	Pay Level-5 (Rs. 29200-92300) as per 7th CPC.	Non-selection	Not Applicable	Not Applicable

* Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.
Due to restructuring 40% of 2289 posts of Lab. Asstt. are to be given to Laboratory Technician Grade-I vide Min of HRD, GOI Order No F5-8/98-UT-1 dated 08.11.2002.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment By promotion/ deputation/ Absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is Its composition	Circumstances In which Union Public Service Commission To be Consulted in making recruitment
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Not Applicable	Not Applicable	100% By Promotion	Laboratory Technician Grade-II in the Pay Level-4 (Rs.25500-81100) with 5 years of regular service in the grade subject to seniority cum-fitness. **Note:** Where Junior who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualification /eligibility service by more than half of such qualification /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed qualification already /eligibility service.	**Group 'C' DPC** 1. Director (Education) - Chairperson 2. Spl. Director/Addl. Director (Social Welfare) -Member 3. Dy. Secretary (GAD) -Member. **Note :** Senior Most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental confirmation committee shall act as chairperson of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	Not Applicable

SCHEDULE II

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LABORATORY TECHNICIAN GRADE-II IN THE MINISTRY OF DIRECTORATE OF EDUCATION, GOVT. OF NCT OF DELHI.

Name of post	**Number of post**	**Classifica -tion**	**Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale**	**Whether Selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Laboratory Technician Grade-II	***687** (2025) *Subject to variation dependent on workload	Group-'C' Non Ministerial, Non Gazetted	Pay Level-4 (Rs. 25500-81100) as per 7th CPC.	Non-Selection	Not Applicable	Not Applicable

* Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.
687 (Due to restructuring, 30% of 2289 posts of Laboratory Assistants are to be given to Laboratory Technician Grade-II vide Min of HRD, GOI Order No F.5 8/98-UT-I dated 08. 11. 2002)

Whether age And educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**In case of Recruitment By promotion/deputation /Absorption grades from Which promotion/ deputation/ absorption to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists what is Its composition**	**Circumstances In which Union Public Service Commission To be Consulted in making recruitment**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Not Applicable	Not Applicable	100% By Promotion	Laboratory Technician Grade-III in Pay Level-2 (Rs.19900-63200) with 8 years of regular Service in the grade and having successfully completed 02 weeks training in (subject/ area of work relevant to duties & responsibility of the higher post)" Note: Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion their senior	**Group 'C' DPC** 1. Director (Education) - Chairperson 2. Spl. Director/Addl. Director (Social Welfare) -Member 3. Dy. Secretary (GAD) -Member. **Note** : Senior Most member of the Departmental Promotion Committee/Departmental confirmation committee shall act as chairperson of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to	Not Applicable

			would also be considered provided they are not short of the requisite qualification /eligibility service by more than half of such qualification /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed /eligibility service qualification.	another member of the Departmental Promotion Committee.	

SCHEDULE III

FRAMING OF RECRUITMENT RULES TO THE POST OF **LABORATORY TECHNICIAN GRADE III.**

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale**	**Whether Selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Laboratory Technician Grade-III	***687** (2025) *Subject to variation dependent on workload	Group-'C' Non Ministerial , Non Gazetted	Pay Level-2 (Rs. 19900-63200) as per 7th CPC.	Non-Selection	Between 18-25* years (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or by the Central issued orders Government) **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.	ESSENTIAL 1) Senior Secondary with Science (Physics & Chemistry or Physics, Chemistry & Biology with practical) With 50% marks in aggregate as regular student or its equivalent from a recognized University Board as a regular student 2) Candidates must have passed practical as well as theoretical examination at Senior Secondary Level. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

* Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given within brackets.687 (Due to restructuring, 30% of 2289 posts of Laboratory Assistants are to be given to Laboratory Technician Grade-III vide Min of HRD, GOI Order No F.5 8/98-UT-I dated 08. 11. 2002).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment By promotion/deputation/ Absorption grades from Which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is Its composition	Circumstances In which Union Public Service Commission To be Consulted in Making recruitment
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Age: No Educational Qualifications : No	"Two years" **Note**: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory Induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the Competent Authority for completion of probation.	a) 75% by Direct recruitment b) 25% by promotion from the erstwhile Group-D employees of Government of NCT of Delhi.	From erstwhile Group-D employees of Govt of NCT of Delhi in the Pay Level 1 (Rs. 18000-56900) with 03 years of regular in the grade and should possess(es) Matriculation with Science (Physics & Chemistry with Practical or Physics, Chemistry & Biology with Practical). **Note:** Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualification /eligibility service by more than half of such qualification /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors completed who have already qualification/eligibility service.	**Group 'C' DPC** 1. Director (Education) - Chairperson 2. Spl. Director/Addl. Director (Social Welfare) -Member 3. Dy. Secretary (GAD) -Member. **Note :** Senior Most member of the Departmental Promotion Committee/Departmental confirmation committee shall act as chairperson of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	Not Applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor of the

National Capital Territory of Delhi,

PATIL PRANJAL LAHENSINGH, IAS, Addl. Director of Education (Admin.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.11 15:37:07 +05'30'